रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 दिसम्बर, 1989/25 अग्रहायण, 1911

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 1989

सं० 1-37/89-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तगत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1989 (1989 का विधेयक

संख्यांक 13) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1989 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव

1989 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1989

(विधान सभा में यथा पुर:स्थापित)

31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1989 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए 25,03,27,599 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धन राशियां, जिनका योग 25,03,27,599 रुपये (पच्चीस करोड़, तीन लाख, सतार्इस हजार, पांच सौ निनानवें रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1989-90 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जायेगा ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	12,04,000	—	12,04,000
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	3,60,000	50,000	4,10,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	1,08,000	—	1,08,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	9,92,000	11,35,000	21,27,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	—	35,666	35,666
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	5,32,000	18,792	5,50,792
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	2,37,62,766	24,222	2,37,86,988
		(पूंजी)	1,22,50,000	—	1,22,50,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	32,50,000	86,530	33,36,530
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	1,27,00,000	—	1,27,00,000
		(पूंजी)	—	2,28,539	2,28,539
11	कृषि	(राजस्व)	65,90,000	1,00,328	66,90,328
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(राजस्व)	2,40,00,000	—	2,40,00,000
		(पूंजी)	45,31,000	—	45,31,000
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	11,71,000	—	11,71,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	21,11,500	4,70,000	25,81,500
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	3,93,00,000	—	3,93,00,000
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	6,27,949	—	6,27,949
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	1,000	46,990	47,990
21	सहकारिता	(राजस्व)	30,00,000	—	30,00,000
		(पूंजी)	1,000	—	1,000
22	खाद्य और भण्डारण	(राजस्व)	1,56,000	—	1,56,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री	(राजस्व)	36,81,000	—	36,81,000
25	सड़क, जल परिवहन और नागर विमानन	(पूंजी)	1,000	—	1,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	—	9,817	9,817
28	जलपूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	2,09,85,000	—	2,09,85,000
		(पूंजी)	5,44,72,000	—	5,44,72,000
29	वित्त	(राजस्व)	1,000	32,46,000	32,47,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	2,39,70,000	—	2,39,70,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	46,15,500	—	46,15,500
		(पूंजी)	5,02,000	—	5,02,000
		कुल जोड़ ..	24,48,75,715	54,51,884	25,03,27,599
		(राजस्व) ..	14,91,48,715	52,23,345	15,43,72,060
		(पूंजी) ..	9,57,27,000	2,28,539	9,59,55,539

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
15 दिसम्बर, 1989.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाइल सं0 फिन-ए-सी (2) 22/89]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1989 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

English Authoritative Text

Bill No. 13 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1989

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 1990.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1989.

Issue of a sum of Rs. 25,03,27,599 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1989-90.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 25,03,27,599 (Twenty-five crores, three lakhs, twenty-seven thousand, five hundred ninety-nine rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1989-90 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	12,04,000	—	12,04,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	3,60,000	50,000	4,10,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	1,08,000	—	1,08,000
4	General Administration	(Revenue)	9,92,000	11,35,000	21,27,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	—	35,666	35,666
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	5,32,000	18,792	5,50,792
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	2,37,62,766	24,222	2,37,86,988
		(Capital)	1,22,50,000	—	1,22,50,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	32,50,000	86, 30	33,36,530
10	Public Works	(Revenue)	1,27,00,000	—	1,27,00,000
		(Capital)	—	2,28,539	2,28,539
11	Agriculture	(Revenue)	65,90,000	1,00,328	66,90,328
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	2,40,00,000	—	2,40,00,000
		(Capital)	45,31,000	—	45,31,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	11,71,000	—	11,71,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	21,11,500	4,70,000	25,81,500
17	Roads and Bridges	(Revenue)	3,93,00,000	—	3,93,00,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	6,27,949	—	6,27,949
20	Rural Development	(Revenue)	1,000	46,990	47,990
21	Co-operation	(Revenue)	30,00,000	—	30,00,000
		(Capital)	1,000	—	1,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	1,56,000	—	1,56,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	36,81,000	—	36,81,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Capital)	1,000	—	1,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	—	9,817	9,817
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	2,09,85,000	—	2,09,85,000
		(Capital)	5,44,72,000	—	5,44,72,000
29	Finance	(Revenue)	1,000	32,46,000	32,47,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	2,39,70,000	—	2,39,70,000
31	Tribal Development	(Revenue)	46,15,500	—	46,15,500
		(Capital)	5,02,000	—	5,02,000
	Grand Total ..		24,48,75,715	54,51,884	25,03,27,599
	(Revenue) ..		14,91,48,715	52,23,345	15,43,72,060
	(Capital) ..		9,57,27,000	2,28,539	9,59,55,539

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropria ion from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the mone's further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1989-90.

SHIMLA :
The 15th December, 1989.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (2) 22/89]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 1989, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।